न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1041–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–15 पारित द्वारा तहसीलदार, खण्डवा प्रकरण कमांक 244/अ–6/13–14.

संजय जायसवाल पिता स्व. श्री रामेश्वर दयाल जायसवाल
निवासी भगतसिंह चौक, खण्डवा
तहसील व जिला खण्डवा .....आवेदक

विरूद्ध

1– विजय कुमार जायसवाल पिता स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल
2– श्रीमती मधुबाला पति विजय कुमार जायसवाल
निवासीगण बाहेती कॉलौनी
नीलकंठेश्वर वार्ड, जसवाड़ी रोड
तहसील व जिला खण्डवा
3– गिरीश कुमार पिता स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल
निवासी बैकुंठ नगर कॉलौनी,
भंडारिया रोड, खण्डवा
तहसील व जिला खण्डवा
4– रवि जायसवाल पिता स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल
निवासी वत्सला विहार कॉलौनी
स्टेडियम के पीछे, खण्डवा
तहसील व जिला खण्डवा .....अनावेदकगण

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिषक, अनावेदक क. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, खण्डवा के समक्ष अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि खण्डवा मानकर नीलकंठेश्वर वार्ड बाहेती कॉलौनी, खण्डवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 06 व 08/2 परिवर्तित भूमि शीट नं. 2 प्लॉट नं. 8/45 क्षेत्रफल 10.490 वर्गफीट एवं प्लॉट नं. 8/46 पैकी 171 वर्गफीट इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 10.661 वर्गफीट पर मकान व गोदाम बना है । उक्त संपत्ति की संयुक्त रूप से वसीयत अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पक्ष में द्वारका प्रसाद जायसवाल द्वारा निष्पादित की गई है । द्वारका प्रसाद जायसवाल एव उसकी पत्नी श्रीमती कुसुम जायसवाल की मृत्यु हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर उनका नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 244/अ–6/13–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–3–15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा मृतक वसीयतकर्ता द्वारका प्रसाद को पक्षकार बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अवैधानिक है । यह भी कहा गया वसीयतकर्ता के वारिसान जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे, उन्हें न तो अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा पक्षकार बनाया गया है, और न ही तहसीलदार द्वारा उन्हें पक्षकार बनाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक वसीयतकर्ता का पुत्र होकर हितबद्ध पक्षकार है, अतः उसे पक्षकार बनाया जाये, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, इसलिए आवेदक द्वारा पुनः संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत

किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार को अपनी गलती सुधारकर आवेदक को पक्षकार बनाना चाहिए था। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब तक मृतक भूमिस्वामी के वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लिया जायेगा, तब तक वसीयत प्रमाणित नहीं हो सकती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदन पत्र में ही उल्लेख है कि वसीयतकर्ता द्वारका प्रसाद एवं उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 7–7–14 से मृतक के वारिसान को आहूत किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है, परन्तु वे तहसील न्यायालय में आपत्ति दर आपत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3 एवं 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा रहा है । आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष केवल प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इस न्यायालय में भी आवेदक की ओर से निगरानी तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने की उद्देश से प्रस्तुत की जाना परिलक्षित होती है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर